छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 197/2006</u>

डॉ0 तुषार कांति शाहा, 7, सृष्टि ब्लॉक, अवन्ती विहार, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	अनावेदक

:: आदेश ::
(10 अगस्त 2006)

श्री तुषार कांति शाहा के द्वारा जन सूचना अधिकारी, कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के विरूद्ध आवेदन पत्र दिनांक 28–2–2006 के द्वारा शिकायत की गई है कि उसे पत्र दिनांक 24 फरवरी 2006 के द्वारा इस विश्वविद्यालय से शिक्षकों एवं अशैक्षणिक स्टॉफ के संबंध में जानकारी चाही थी। आवेदक के द्वारा 5 बिन्दुओं पर जानकारी चाही। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि 2000/– रूपए सूचना के लिए शुल्क जमा करें। इससे असंतुष्ट होकर आवेदकने शिकायत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक तुषार कांति शाहा के द्वारा जन सूचना अधिकारी से आवेदन पत्र दिनांक 24–2–2006 से पाँच बिन्दुओं पर जानकारी मांगी। जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को पत्र दिनांक 25–2–2006 से 2000/– रूपए जमा करने हेतु सूचित किया। शिकायत प्राप्त होने पर आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को नोटिस दिया गया तथा जवाब मांगा गया। जन सूचना अधिकारी ने सूचित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत राज्य शासन के पत्र दिनांक 9–3–2006 में प्रतिपृष्ठ जानकारी शुल्क 100/– रूपए निर्धारित किया गया है। अतः डॉ0 शाहा को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए उनसे 2000/– रूपए शुल्क जमा करने हेतु सूचित किया गया था। उन्होंने शुल्क जमा नहीं किया, इसलिए जानकारी नहीं दी गई।

आयोग के द्वारा आवेदकको दिनांक 13–7–2006 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया। 13–7–2006 को आवेदक एवं अनावेदक दोनों अनुपस्थित थे। दिनांक 1–8–2006 को दोनों को उपस्थित होने हेतु पुनः नोटिस जारी किया गया, किन्तु आवेदक उपस्थित नहीं हुए। अनावेदक की ओर से श्री एस. शांताकुमार उपस्थित

हुए उनके द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि वांछित जानकारी डॉ0 टी.के.शाहा के पास स्वयं होना चाहिए क्योंकि वे स्वयं कॉलेज में विधि संकाय के प्रोफेसर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी विश्वविद्यालय से संबंधित स्टॉफ की जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने डॉ0 शाहा पर निराधार शिकायत करने एवं गलत मेडिकल अवकाश लेने का आरोप भी लगाया।

प्रकरण से स्पष्ट है कि डॉ0 शाहा आयोग के समक्ष नोटिस देने पर भी अपने आवेदन पत्र के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा डाक आदि से आयोग के समक्ष आवेदन के समर्थन में कोई प्रमाण भेजा गया। अनावेदक की ओर से आवेदक पर जो आरोप आरोपित किये गये हैं, उनका इस प्रकरण से संबंध नहीं है। अनावेदक के द्वारा अपने जवाब में 2000/– रूपए शुल्क जमा करने का पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया। उनके द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया था कि जानकारी के संबंध में पूर्व उपकुलपति तथा कुलसचिव से जानकारी लेना होती है तथा टेलीफोन एवं अन्य व्यय करना पड़ता है, इसलिए 2000/– रूपए जमा किया जावे, जिससे कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। अनावेदक का आधार उचित नहीं है। अनावेदक ने अपने जवाब में स्वयं माना है कि जानकारी वेबसाइट में है। आवेदक ने ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी थी, जिससे पूर्व उपकुलपति अथवा कुलसचिव से संपर्क स्थापित करना पड़े। आवेदक ने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ के नाम, पद, नियमित वेतनमान, उनका स्थायीकरण, पदोन्नति, नियमितिकरण, वार्षिक वेतनवृद्धि, उनकी पी.एच.डी. के संबंध में दी गई विशेष वेतनवृद्धि आदि की जानकारी चाही थी। यह सब जानकारी आसानी से विश्वविद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से हो सकती है। अतः 2000/– रूपए जमा कराने का आधार सही नहीं प्रतीत होता।

चूंकि आवेदक नोटिस भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः यह प्रतीत होता है कि जानकारी प्राप्त करने में उन्हें रूचि नहीं है। आवेदक के आवेदन पत्र से यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा 10/– रूपए का आवेदन–शुल्क जमा किया गया अथवा नहीं, इसके रसीद की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र नस्तीबद्ध किया जाता है। साथ ही जन सूचना अधिकारी कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर को सचेत किया जाता है कि भविष्य में शुल्क बिना किसी आधार के आवेदकों से जमा न करावें। राज्य शासन के जिस परिपत्र का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है, उसमें 100/– रूपए प्रत्येक पेज हेतु जमा कराने हेतु कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में वे शर्तें प्रभावशील नहीं होती।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त